न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 01 / 2021(2021 – 286)

1. गफूर शाह पुत्र श्री जमाल शाह जाति फकीर मुसलमान निवासी सावर तहसील सावर जिला अजमेर।

बनाम

1. अकबर अली पुत्र श्री जमाल उम्र व्यस्क जाति फकीर।
2. निजामुद्दीन पुत्र श्री जमाल उम्र व्यस्क जाति फकीर।
3. अहम्मद नूर शाह पुत्र श्री इकरामुद्दीन उम्र व्यस्क जाति फकीर।
4. मोहम्मद हनीफ शाह पुत्र श्री इकरामुद्दीन उम्र व्यस्क जाति फकीर।
5. मोहम्मद हफीज शाह पुत्र श्री इकरामुद्दीन उम्र व्यस्क जाति फकीर।
समस्त जाति फकीर मुसलमान निवासीगण सावर तहसील सावर जिला अजमेर।
6. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील सावर जिला अजमेर।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–1. श्री मिठू सिंह राठौड – वकील प्रार्थी
1. श्री सलीम गौरी– अब्दुल सलीम गौरी

–:आदेशः–

दिनांक–9.6.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ग्राम सावर तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया	खसरा संख्या	रकबा(हैक्टर)	किस्म
1452–52	2171 2172 2173	0.06 1.43 1.26	गै.मु.चाह चाही 2 जाव 2 चाही 2
	कुल किता 3	कुल रकबा 2.75	

वाद वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की संयुक्त सह खातेदारी, कब्ज, काश्त, स्वामित्व व आधिपत्य उपयोग उपभोग में चली आ रही है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक का 1/24 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 की माता शकूर पत्नि इकरामुद्दीन का 1/24 हिस्सा है जो फोत हो चुकी हैं जिसमें वारिस एवं उत्तराधिकारीगण अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 5 है अतः अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 5 का संयुक्त 1/6 हिस्सा है। अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कानूनन हक हिस्सा अधिकार नहीं है। वादग्रस्त आराजीयात का मौके पर बाहमी विभाजन प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजों के मध्य हो रखा है तथा वाद वर्णित आराजीयात विभाजन में खसरा नम्बर 2172 प्रार्थी के अकेले के कब्जे काश्त, स्वामित्व, आधिपत्य, उपयोग उपभोग में तथा खसरा नम्बर 2173 अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के संयुक्त कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

स्वामित्व आधिपत्य, उपयोग उपभोग मे चली आ रही है तथा खसरा नम्बर 2171 चाह मे अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 विभाजन के अनुसार अपनी अपनी आराजी की अनुपात अनुसार सिंचाई करते चले आ रहे है तथा चाह व आराजी मे आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 2173 के पूर्वी तरफ और स्थित सरकारी [illegible] खसरा नम्बर 2173/5357 रकबा 0.18 हैक्टर किस्म बा0 1 से होकर है। प्रार्थी के विभाजन बटवारे में आई आराजी खसरा नम्बर 2172 मे काश्त एवं उसके उपयोग उपभोग आने जाने यानि ट्रैक्टर बैलगाडी [illegible] जाने का रास्ता खसरा नम्बर 2173/5357 से होकर रहा है। इसी रास्ते से होकर प्रार्थी चाह खसरा नम्बर 2171 से होकर खसरा नम्बर 2172 मे काश्त करने, हांकने जोतने उपज लाने ले जाने हेतु उपयोग उपभोग पुश्तैनी कदीमी काल से करता चला आ रहा है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 भी इसी रास्ते से खसरा नम्बर 2173 व चाह खसरा नम्बर 2171 का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की नियत बद है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 ने प्रार्थी को दिनांक 05.07.2021 को धमकी दी कि वाद वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2172 जो प्रार्थी के बटवारे विभाजन में आई हुई है [illegible] रास्ता आने जाने ट्रैक्टर बैलगाडी हांकने जोतने हेतु आने जाने एवं सिंचाई करने हेतु खसरा नम्बर 2173/5357 व चाह खसरा नम्बर 2171 से होकर चाह से सिंचाई करने व रास्ता के उपयोग उपभोग से मना कर दिया एवं खसरा नम्बर 2172 से जबरन बेदखल करने एवं कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने की एवं लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये। मना करने पर भी नहीं माने तथा धमकी दी कि चाह की सम्पूर्ण आराजी पर चार दीवारी निर्माण करके रास्ता कतई अवरुद्ध करेंगे तथा चाह व [illegible] नम्बर 2172 मे प्रार्थी को नही आने जाने देगें। अतः वाद वर्णित आराजीयात का मौके पर वर्तमान में [illegible] खसरा नम्बर 2172 व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 संयुक्त खसरा नम्बर 2173 पर काबिज अनुसार [illegible] पर बंटवारा करके अलग अलग नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे एवं विधिवत बटवारा किया [illegible] खसरा नम्बर 2173/5357 रकबा 0.18 हैक्टर आराजी से व चाह खसरा नम्बर 2171 से रास्ता 20 फुट चौडा तरमीन किया जावे। रास्ते की जो भी प्रीमीयम राशि होगी वह प्रार्थी नियमानुसार अदा करने को तैयार है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद वर्णित आराजी में प्रार्थी के कब्जे काश्त, स्वामित्व, आधिपत्य, खातेदारी की विभाजन में आई खसरा नम्बर 2172 के कब्जे, काश्त, स्वामित्व, उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें न ही चाह खसरा नम्बर 2171 से [illegible] करने में किसी प्रकार का व्यवधान, बाधा उत्पन्न करें न ही चाह व आराजी से जबरन बेदखल करें तथा रास्ता खसरा नम्बर 2173/5357 से होकर चाह खसरा नम्बर 2171 में से होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 2172 में जाता है, के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें और ट्रेक्टर ट्रोली, बैलगाडी, हांकने जोतने, उपज लाने ले जाने, बोने एवं सिंचाई करने आने जाने में यानि काश्त करने में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें इस हेतु निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अतः वादपत्र बटवारा, रास्ता तरमीम व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जवाब हेतु नोटिस जारी किये। अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा जवाब टिप्पणी अंकित कर राजहित प्रभावित नही होना बताया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे सामिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नही करने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी जाकर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 निम्नानुसार हैः–

प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 मे वर्णित कथन का जवाब मे स्थायी निषेधाज्ञा एवं बटवारा बाबत पेश किया जिसमे प्रार्थी को कोई सफलता मिलने की आशा नही है पैरा संख्या 2 मे केवल वाद वर्णित आराजीयात सावर में स्थित होना स्वीकार है प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित कथन राजस्व रिकॉर्ड से सम्बधित है पैरा संख्या 4 में वर्णित कथन झूठे एवं मनगढ़न्त होने से अस्वीकार है शेष कथन प्रार्थी अपने

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

दस्तावेजी साक्ष्य से स्वयं साबित करे। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 6 में जिस प्रकार अंकित किया गया वह गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थी ने उक्त पैरा संख्या 06 में कथन जिस तरह से तहरीर किये है वह महज कल्पना के आधार पर है प्रार्थी ने जो दावा प्रस्तुत किया है वह तथ्यों को छुपा कर किया है तथा अन्य वारिसों को होते हुए आराजी हडपने के उद्देश्य से अन्य वारिसों का ना तो कहीं जिक्र किया है और ना ही कोई सजरा पेश किया है खसरा संख्या 2172 का व अन्य खसरान् का कोई भी मौखिक विभाजन या बटवारा नही हुआ है प्रार्थी ने वाद वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2172 को स्वयं के बटवारे में आना तहरीर किये है वह एकदम गारहीन है बटवारे या विभाजन के सम्बन्ध में पत्रावली में कोई भी दस्तावेज सलग्न नही है प्रार्थी ने खसरा संख्या 2172 के सम्बन्ध में व रास्ते आने जाने व रास्ता रोकने के सम्बन्ध में किसी विधि के प्रतिकुल होने के कारण काबिले खारिज है जवाब प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का वाद खारिज करने का निवेदन किया। पक्षकारान की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गौर किया। पार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी पाया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 को जरिये अस्थाई निषधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी की आराजीयात वाके ग्राम सावर तहसील सावर जिला अजमेर के खसरा संख्या 2172 पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा नही डाले न ही जबरन बेदखल करे। शामिलाती रास्ते को बन्द या अवरूद्व नही करे व न ही किसी प्रकार अवैध निर्माण कर रास्ता अवरूद्व करे। खर्चा फरिकैन अपना-अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner